भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2282
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सिविलियन ड्रोन को बढ़ावा देना

2282. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विकासात्मक उपयोग के लिए सिविलियन ड्रोन को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए कोई राष्ट्रीय रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सिविलियन ड्रोन पंजीकरण और परिचालन संबंधी राज्य-वार आंकड़ा क्या है; और
(ग) स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना मानचित्रण में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) नागर विमानन मंत्रालय ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विकासात्मक उपयोग के लिए सिविलियन ड्रोन को बढ़ावा देने और विनियमित करने के विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे:

(i) व्यापार करने में समग्र सुगमता को बढ़ाने तथा सुरक्षित संरक्षित और विनियमित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन नियम, 2021 को दिनांक 25 अगस्त 2021 को जारी किया गया था।
(ii) इसके बाद, क्रमशः दिनांक 27.09.2023 और 21.08.2024 को जारी संशोधित ड्रोन नियम 2021 ने रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) के साथ-साथ ड्रोन के पंजीकरण और डी-पंजीकरण/हस्तांतरण के लिए पासपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(iii) भारतीय हवाई क्षेत्र के लगभग 90% हवाई क्षेत्र को ग्रीन जोन बनाकर ड्रोन परिचालन के लिए खोल दिया गया है जहाँ बिना किसी अनुमति के परिचालन किया जा सकता है। यहाँ तक कि रेड और येलो जोन में भी आवश्यक अनुमति लेने के बाद ड्रोन परिचालन किया जा सकता है।

(iv) मानवरहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन योजना, 2022 को दिनांक 26.01.2022 को प्रकाशित किया गया था, ताकि ड्रोन के लिए एक वैश्विक प्रमाणन और मान्यता फ्रेमवर्क स्थापित किया जा सके जो उचित सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न ड्रोन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को सक्षम बनाता है।

(ख) दिनांक 31.01.2026 तक ड्रोन पंजीकरण का राज्य-वार डेटा अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग) ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने और देश में उनके सुरक्षित, संरक्षित और विनियमित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) ड्रोन के अनिवार्य प्रकार के प्रमाणन हेतु प्रावधान करते हैं, (ख) वैध रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (आरपीसी) का होना, (ग) केवल डीजीसीए-अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना

और (घ) अनिवार्य विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) होना जो ड्रोन की पहचान और ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, ड्रोन द्वारा हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, सैन्य भंडार या किसी अन्य खतरनाक सामान की ढुलाई पर प्रतिबंध, रेड और येलो ज़ोन में ड्रोन के परिचालन हेतु पूर्व अनुमति, ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रमाणपत्र और प्राधिकार के निलंबन और रद्दकरण जैसे प्रावधान दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों में समाविष्ट किए गए हैं।

अनुलग्नक

"सिविलियन ड्रोन को बढ़ावा देना" के संदर्भ में दिनांक 12.02.2026 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2282 के उत्तर में अनुलग्नक

ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य	यूआईएन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1876
2	अरुणाचल प्रदेश	25
3	असम	195
4	बिहार	489
5	छत्तीसगढ	161
6	गोवा	149
7	गुजरात	2305
8	हरि याणा	2179
9	हिमाचल प्रदेश	146
10	झारखंड	150
11	कर्नाटक	3258
12	केरल	1818
13	मध्य प्रदेश	480
14	महाराष्ट्र	8210
15	मणिपुर	12
16	मेघालय	43
17	मिजोरम	2
18	नागालैंड	7
19	ओडिशा	293
20	पंजाब	285
21	राजस्थान	670
22	सिक्किम	19
23	तमिलनाडु	5878
24	तेलंगाना	3657
25	त्रिपुरा	20
26	उत्तर प्रदेश	1167
27	उत्तराखंड	460
28	पश्चिम बंगाल	1128
29	अंडमान और नि कोबार द्वीप समूह	10
30	चंडीगढ़	56
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
32	दिल्ली	3070
33	जम्मू और कश्मीर	201
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	4
36	पुदुचेरी	51
	कुल	**38475**

स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय

******